1. ऑटोमेटेड ड्राइवर्स ट्रेनिंग, टेस्टिंग & स्किल इंस्टिट्यूट

1.1 परिचय

सड़क सुरक्षा को मुख्य उद्देश्य रखते हुए, वाहन चालकों के स्तरीय प्रशिक्षण व परिक्षण हेतु इस महत्त्वाकांक्षी संस्थान की नींव वर्ष 2013 में, IL&FS ETS Ltd. व राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के संयुक्त तत्वाधान में रखी गयी थी। संस्थान का लोकार्पण दिनांक 13 दिसम्बर 2014 को माननीय केंद्र मंत्री, (सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्रालय, भारत सरकार) श्री नितिन गडकरी एवं माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान श्रीमती वसुंधरा राजे के करकमलों द्वारा किया गया था।

संस्थान को निजी-जन सहभागिता में DBOOT फोर्मेट के तहत विकसित किया गया है। संस्थान की संरचना एवं आधारभूत सुविधाओं को IL&FS ETS Ltd. द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की केंद्रीय कार्यशाला, अजमेर के परिसर में विकसित किया गया तथा वित्तीय रूप से पोषित किया गया है। DBOOT मॉडल के तहत IL&FS ETS Ltd. द्वारा आगामी 20 वर्षों तक संस्थान का सञ्चालन व संरक्षण किया जायेगा।

1.1.1 संस्था परिसर की मुख्य विशेषताएं

- 16.93 एकड़ क्षेत्र का विस्तृत परिसर
- आधुनिक व स्तरीय कक्षाएं, पुस्तकालय व सभागार
- व्यवहार कुशलता व ई-लर्निंग का विशेष प्रशिक्षण
- परिसर में निर्मित अत्याधुनिक ऑटोमेटेड ट्रेनिंग व टेस्टिंग ट्रैक
- वाहन चालन प्रयोगशाला व प्रशिक्षण कार्यशाला
- हलके व भारी वाहन चालन प्रशिक्षण हेतु विशेष वाहन
- पूर्णतया स्वचालित वाहन परिक्षण केंद्र
- युवक व युवतियों हेतु पृथक हॉस्टल सुविधा तथा कैंटीन

1.2 आधारभूत संरचनात्मक सुविधायें

1.2.1 प्रशिक्षण केंद्र

- मार्गदर्शन हेतु परामर्श एवं पंजीकरण हेतु पृथक क्षेत्र
- प्रशिक्षण/ अध्यापन हेतु सात अत्याधुनिक कक्षाएं
- मल्टीमीडिया द्वारा प्रशिक्षण
- 20 टर्मिनल युक्त कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रयोगशाला

HMV (भारी वाहन चालन) प्रशिक्षण हेतु डायनामिक सिम्युलेटर

- दुपहिया व हलके वाहन चालन प्रशिक्षण हेतु सिम्युलेटर

- कांफ्रेंस रूम (सभागार)
- प्राथमिक चिकित्सा कक्ष

1.2.2 प्रशिक्षण कार्यशाला एवं प्रयोगशाला

- विभिन्न प्रकार के इंजन कट-सेक्शन व ऑटोमोबाइल उपकरणों युक्त आधुनिक प्रयोगशाला
- वाहन अवलोकन प्रशिक्षण हेतु वर्कशॉप-पिट
- वास्तविक ऑटोमोबाइल इंजन पाट्र्स व् उपकरणों द्वारा प्रशिक्षण

1.2.3 ऑटोमेटेड ट्रेनिंग & टेस्टिंग ट्रैक

- हलके व भारी वाहन चालन प्रशिक्षण हेतु परिसर में निर्मित ट्रैक
- निम्न विभिन्न प्रकार के वाहन चालन प्रशिक्षण हेतु ऑटोमेटेड सेंसर युक्त परिक्षण ट्रैक
    - 8-शेप , S-शेप
    - H –ट्रैक (रिवर्स ब्लॉक)
    - अपग्रेडिएंट
    - पैरेलल, एंगुलर, पर्पेंडीक्युलर पार्किंग
    - V-ब्लाक, 5 पॉइंट, 3 पॉइंट टर्न
    - वाहन चालन परिक्षण की CCTV द्वारा निगरानी व रिकॉर्डिंग

संस्थान द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को वास्तविक अनुभव व तकनिकी ज्ञान वर्धन हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की केंद्रीय कार्यशाला में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।

1.2.4 वाहन फिटनेस परिक्षण- इंस्पेक्शन & सर्टिफिकेशन

- पूर्णतया स्वचालित उपकरणों द्वारा निम्न वाहन परिक्षण
    - एमिशन टेस्ट, एग्जॉस्ट & इंजन नॉइज़
    - स्पीडोमीटर टेस्ट, ब्रेक टेस्टिंग – सर्विस & पार्किंग ब्रेक
    - अंडर बॉडी स्टीयरिंग & फ्रंट एक्सेल जॉइंट्स प्ले टेस्ट
    - साइड स्लिप टेस्ट
    - हेडलाइट एलाइनमेंट फॉर एम & इंटेंसिटी
    - विजुअल अंडर बॉडी पिट इंस्पेक्शन
- राजस्थान सरकार, परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित

1.2.5 प्रशिक्षण वाहन

- दोहरे नियंत्रण युक्त विशेष वाहन
- अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा वाहन चालन प्रशिक्षण
    - LMV (हल्के वाहन) – टाटा इंडिका व टाटा सूमो
    - LCV (हल्के कमर्शियल वाहन) – टाटा आईरिस व टाटा 407
    - HMV – टाटा बस व मल्टी एक्सेल ट्रक

1.2.6 हॉस्टल व कैंटीन सुविधा

- 100 प्रशिक्षणार्थियों हेतु हॉस्टल सुविधा (76 युवक, 24 युवतियों हेतु)
- वार्डन ऑफिस
- 50 प्रशिक्षणार्थियों के भोजन हेतु डाइनिंग हॉल
- कैंटीन व किचन

1.2.5 प्रशिक्षण वाहन

- दोहरे नियंत्रण युक्त विशेष वाहन
- अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा वाहन चालन प्रशिक्षण
    - LMV (हल्के वाहन) – टाटा इंडिका व टाटा सूमो
    - LCV (हल्के कमर्शियल वाहन) – टाटा आईरिस व टाटा 407
    - HMV – टाटा बस व मल्टी एक्सेल ट्रक

2. क्षमता परिचय

2.1 प्रशिक्षण एवं क्षमता परिवर्धन

2.1.1 प्रशिक्षण

संस्थान में प्रशिक्षण हेतु उच्चस्तरीय आधारभूत सुविधाये तथा मल्टीमीडिया उपकरणों से सुसज्जित सात कक्षाएं हैं। संस्थान ऑटोमोबाइल क्षेत्र में स्तरीय प्रशिक्षण, प्रशिक्षण सामग्री व अध्यापन सुविधाएँ उपलब्ध कराता है। संस्थान को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय तथा राजस्थान सरकार परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित

किया गया है। साथ ही संस्थान को राष्ट्रीय स्तरीय संस्थानों यथा ARAI, CIRT आदि द्वारा ऑटोमोबाइल ड्राइविंग क्षेत्र में मार्गदर्शन दिया जाता है।

संस्थान द्वारा संचालित ऑटोमोबाइल क्षेत्र के प्रशिक्षण कार्यक्रम, NSDC तथा मिनिस्ट्री ऑफ़ हेवी इंडस्ट्री द्वारा निर्मित व ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज द्वारा अनुमोदित- ऑटोमोबाइल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (ASDC) द्वारा प्रमाणित हैं। वर्तमान में दीर्घकालिक B.Voc. डिग्री कार्यक्रम के अलावा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कौशल/ क्षमता परिवर्धन, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम (राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय) हैं।

2.1.1.1 कौशल/ क्षमता परिवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं जो सेवारत अथवा अनुभवी वाहन चालकों का कौशल उन्नयन के लिए विकसित किये गए हैं।

1. **रिफ्रेशर एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कोर्स फॉर इन सर्विस ड्राइवर्स-**

   दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सेवारत वाहन चालकों के सड़क सुरक्षा सम्बंधित सकरात्मक व्यवहार व यातायात नियमों की प्रतिबद्धता हेतु

2. **डिफेंसिव ड्राइविंग एंड सिम्युलेटर इवैल्यूएशन**

   वाहन चालन कौशल परिक्षण व सुधार, ईंधन बचत, सुरक्षात्मक वाहन चालन, यातायात नियम, आपातकालीन प्रबंधन आदि कौशल उन्नयन हेतु तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।

3. **स्पेशियल एक्सीडेंट केस ट्रेनिंग**

   सड़क दुर्घटना से प्रभावित वाहन चालकों हेतु सात दिवसीय आवासीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।

4. **डेंजरस एंड हजार्डस गुड्स ट्रांसपोर्टेशन ट्रेनिंग फॉर ड्राइवर्स**

   CMVR 1989, रूल 9 के तहत खतरनाक व ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन करने वाले वाहन चालकों का तीन दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।

2.1.1.2 रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यतयाः बेरोजगार युवाओं के लिए है, जो ऑटोमोबाइल व उससे सम्बंधित क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं।

1. **ऑटो सर्विस टेक्नीशियन**

   45 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आधुनिक ऑटोमोबाइल वाहनों की मरम्मत व रखरखाव कौशल में निपुणता हेतु विकसित किया गया है। इस प्रशिक्षण के सफल अभ्यर्थियों को संस्थान द्वारा ऑटोमोबाइल क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार के अवसर प्रदान किये जाते हैं।

2. ड्राईवर (LMV)

हल्के वाहन चालन कौशल हेतु CMVR 1989, नियम 31 के पाठ्यक्रम अनुसार विकसित किया गया है। कुल प्रशिक्षण अवधि 21 दिन है।

3. ड्राईवर (HMV)

भारी व कमर्शियल वाहन चालन हेतु इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को CMVR 1989, नियम 31 के पाठ्यक्रम अनुसार विकसित किया गया है, जिसकी कुल अवधि 30 दिन है। प्रशिक्षण उपरांत अभ्यर्थियों को ट्रांसपोर्ट व निजी कंपनियों में रोजगार के अवसर प्रदान किये जाते हैं

4. ड्राईवर कम मैकेनिक

आधुनिक ऑटोमोबाइल वाहनों की मरम्मत व रखरखाव तथा कमर्शियल वाहन चालन कौशल हेतु परिवर्धित यह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम की कुल अवधि तीन माह है।

5. शोफर/टैक्सी ड्राइवर

RSLDC के अधीन इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मेट्रोपोलिटन शहरों में कुशल एवं शालीन निजी वाहन चालकों के कार्य हेतु युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण अवधि 63 दिन है।

6. कार वॉशर एंड असिस्टेंट सर्विस तकनीशियन

प्रोफेशनल कार वॉशर व वाहनों की देखभाल के कौशल को सिखाने वाला यह निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम 69 दिवस का है तथा RSLDC के अधीन है।

7. ऑटो ई रिक्शा ड्राइवर एवं सर्विस तकनीशियन

प्रदुषण मुक्त ई रिक्शा चालन एवं ई रिक्शा की देखभाल व मरम्मत के कौशल को सिखाने वाले PMKVY के इस निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि 65 दिन है।

8. कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर (भारी वाहन चालक)

PMKVY का यह निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम भारी वाहन यथा ट्रक, बस आदि के सुरक्षात्मक वाहन चालन कौशल हेतु परिवर्धित किया गया है। प्रशिक्षण अवधि 63 दिन है।

9. टैक्सी ड्राईवर फॉर OLA

देश की जानी मानी रेंटेड टैक्सी की कंपनी OLA में रोजगार के अवसर दिलाने वाला यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरक्षात्मक वाहन चालन तथा OLA टैक्सी से सम्बंधित सभी तकनिकी जानकारी देने के साथ सुनिश्चित रोज़गार उपलब्ध कराता है।

2.1.1.3 इंटरनेशनल ड्राइविंग स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम

भारत विदेश मंत्रालय के प्रवासन सम्बंधित नियमों की पूर्ण अनुपालना करते हुए विदेशों में हलके व भारी वाहन चालन कार्य के प्रशिक्षण हेतु परिवर्धित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम वाहन चालन कौशल के साथ विदेशों में निश्चित रोजगार व प्रवासन में सहायता उपलब्ध कराता है।

2.1.2 जागरूकता अभियान

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय एवं परिवहन विभाग के मार्गदर्शन में संस्थान द्वारा सड़क सुरक्षा, सुरक्षात्मक वाहन चालन, यातायात नियमों का पालन आदि क्षेत्र में समय-समय पर सड़क सुरक्षा अभियान चलाये जाते हैं।

इस सन्दर्भ में विगत वर्ष में 300 बाल वाहिनी चालकों को सड़क सुरक्षा व सुरक्षात्मक वाहन चालन का प्रशिक्षण तथा कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड के साथ सारथि मित्र कार्यक्रम के तहत 5050 ट्रक चालकों को सड़क सुरक्षा व वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण दिया गया है।

2.1.3 शैक्षणिक भ्रमण

संस्थान द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षणार्थियों को ज्ञानवर्धन हेतु अन्य ड्राइविंग इंस्टिट्यूट, ऑटोमोबाइल रिसर्च इंस्टिट्यूट व ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज आदी का भ्रमण कराया जाता है।

2.1.4 निरूपण

ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में तकनिकी उन्नयन व बदलावों को जानने व समझने हेतु संस्थान द्वारा विभिन्न माध्यमों यथा इंजन कट-सेक्शन, मॉडल्स, स्टेट ऑफ़ आर्ट मशीन आदि का उपयोग प्रशिक्षण व अध्यापन में किया जाता है।

2.2 वाहन फिटनेस परिक्षण

संस्थान प्रति घंटे 8 से 10 HMV (मल्टी एक्सेल वाहन), LMV व LCV वाहनों के फिटनेस परिक्षण हेतु समर्थ है। मोटर व्हीकल एक्ट के नियमानुसार वाहनों की फिटनेस जाँच की जाती है, जिसके लिए संस्थान ने फ्रांस से आयातित पूर्णतया स्वचालित ऑटोमेटेड फिटनेस लेन स्थापित की है।

2.3 परामर्श सेवाएँ

संस्थान द्वारा सरकारी एवं कई निजी संस्थानों को क्षमता परिवर्धन, कौशल परिक्षण एवं मूल्यांकन जैसी सेवाएं प्रदान की जाती है।

2.4 ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अनुसंधान

ऑटोमोबाइल क्षेत्र में विभिन्न शोध कार्यों हेतु आधारभूत सुविधाओं, कार्यशाला, उपकरण आदि उपलब्ध कराये जाते हैं। संस्थान में मुख्यतया तकनिकी शोध, इम्पैक्ट स्टडी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट व मार्केटिंग रिसर्च जैसे शोध किये जाते हैं।

2.5 कर्मचारी चयन एवं श्रेणीकरण सहायता

संस्थान में अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त ऑटोमेटेड ट्रैक, कार्यशाला व सिम्युलेटर की उपलब्धता है, जिनमे पूर्णतया पारदर्शी व प्रमाणिक परिणाम प्राप्त होते हैं। जिसका उपयोग विभिन्न सरकारी कार्यालयों में चयन हेतु परीक्षणों, कार्यरत कर्मचारियों के श्रेणीकरण तथा विशेष प्रशिक्षण हेतु किया जाता है।

पशुपालन विभाग में वाहन चालकों की भर्ती हेतु 8300 अभ्यर्थियों का वाहन चालन कौशल परिक्षण संस्थान द्वारा किया गया है।

उच्च-न्यायालय में 200 वाहन चालकों का परिक्षण व मूल्यांकन संस्थान द्वारा किया गया है।

2.6 उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ

संस्थान में प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षणार्थियों में उद्यमिता के प्रोत्साहन एवं स्वरोजगार के अवसरों को बढाने हेतु इच्छुक प्रशिक्षणार्थियों के लिय उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ में सरकार द्वारा स्नाचालित विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं, ऋण उपलब्धता व सम्बंधित प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही इच्छुक व योग्य प्रशिक्षणार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाने व स्वरोजगार स्थापित करवाने में संस्थान के कर्मचारियों द्वारा तकनिकी व मौलिक सहयोग प्रदान किया जाता है।

2.7 अनुभवी व दक्ष प्रशिक्षक

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्तरीय गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु संस्थान द्वारा अनुभवी व दक्ष प्रशिक्षकों को नियुक्त किया गया है। साथ ही ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी क्षेत्र व अन्य समसामयिक विषयों के विभिन्न विद्वानों को प्रशिक्षणार्थियों के ज्ञानवर्धन एवं प्रोत्साहन हेतु आमंत्रित किया जाता है।

3. प्रशिक्षणार्थियों हेतु प्रशिक्षण प्रणाली

a. **एंट्री गेट असेसमेंट (EGA):** EGA के द्वारा अभ्यर्थी के कुशल कर्मचारी बनने की मानसिक व शारीरिक योग्यता का आंकलन किया जाता है।

b. **प्रशिक्षण:** चयनित अभ्यर्थियों को तीन माह में 300 से 600 घंटों का कठोर प्रशिक्षण (औसतन 10 घंटे प्रतिदिन) दिया जाता है। प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम NSDC द्वारा निर्धारित अथवा नियोक्ता कंपनी की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित किया जाता है। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मुख्य कौशल के साथ-साथ सुरक्षा, व्यवहार कुशलता, सम्प्रेषण, वित्तीय साक्षरता एवं आईटी साक्षरता का प्रशिक्षण दिया जाता है।

c. **अंतरिम व अंतिम परिक्षण:** प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण के दौरान समय-समय पर अंतरिम मूल्याङ्कन किया जाता है। केवल अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को ही साक्षात्कार हेतु उपलब्ध कराया जाता है अथवा सम्बंधित विभाग जहाँ वो कार्यरत है, को अभ्यर्थी के परिणाम व श्रेणी से अवगत कराया जाता है।

d. **मूल्याङ्कन एवं प्रमाणपत्र:** प्रशिक्षण के दौरान अंतरिम मुल्यांक के अतिरिक्त संस्थान द्वारा प्रशिक्षणार्थियों का NSDC की सम्बंधित स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा सर्टिफिकेशन कराया जाता है।

e. **नियोक्ता कंपनी द्वारा साक्षात्कार:** सफल व सर्टिफाइड प्रशिक्षणार्थियों का उनके कौशल क्षेत्र से सम्बंधित कंपनियों में साक्षात्कार करवाया जाता है।

f. **प्लेसमेंट लिंकेज:** संस्थान द्वारा सफल प्रशिक्षणार्थियों के रोजगार अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए देश की नामी ऑटोमोबाइल कंपनियों से लिंकेज किये गए हैं।

संस्थान द्वारा अभी तक कुल 10640 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है तथा कुल 7470 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न कंपनियों में रोजगार से जोड़ा गया है।